

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो )

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा ।

17 - इंगरगढ़ (सामान्य) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए  
निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम ,  
1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री ताराचन्द


ग्राम गुसाईसर बड़ा, तहसील श्रीइंगरगढ़, जिला-बीकानेर

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं ।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो  
गए हैं।

स्थान : बीकानेर

दिनांक : 03-12-2023



(मुकेश चौधरी)

रिटर्निंग ऑफिसर

017-इंगरगढ़ (सामान्य) विधानसभा क्षेत्र

रिटर्निंग अधिकारी  
विधानसभा चुनाव-2023

इंगरगढ़ (17)

**Form 21C**

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is Contested)

**Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951**

Election to the Legislative Assembly of RAJASTHAN State from the 017-DUNGARGARH (GEN) Assembly Constituency.

---

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

SH. TARACHAND


VILLAGE GUSAIN SAR BADA, TEHSIL SRIDUNGARGARH, DISTRICT BIKANER

BHARATIYA JANATA PARTY

has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Bikaner

Dated : 03-12-2023

  
(Mukesh Choudhary)  
Returning Officer  
017- Dungargarh (GEN)  
Constituency

रिटर्निंग अधिकारी  
विधानसभा चुनाव-2023  
दुंगरगढ़ (17)